दुकान की आड़ में अवैध रुप से लोगों को शराब बेचने/ पिलाने वाले अभियुक्त को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार।

शराब के नशे में वाहन चलाने वाले स्कूटी चालक को झूलाघाट पुलिस ने कराई हवालात की सैर।

ट्रैफिक रूल तोड़ने व उत्पात मचाकर शांति भंग करने वाले 76 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल- 30,050/- रु0 समायोजन शुल्क वसूला।

जनपद पुलिस द्वारा अवैध शराब व अन्य अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रुप से अंकुश लगाने हेतु ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के विरूद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में एस0पी0 पिथौरागढ़, श्रीमती रेखा यादव के सुपरविजन में एवं सी0ओ0 पिथौरागढ़, श्री परवेज अली के पर्यवेक्षण में दिनांक- 24.07.2024 को जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों व मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल 76 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल- 30,050/- रु0 का समायोजन शुल्क जमा किया गया, जिसमें थाना प्रभारी झूलाघाट, उ0नि0 श्रीमती आरती द्वारा चैकिंग के दौरान स्कूटी सवार चालक अजय दयाल, निवासी बलतड़ी थाना झूलाघाट जिला पिथौरागढ़ को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया।

कोतवाली पिथौरागढ़ से पुलिस टीम अपर उ0नि0 श्री भुवन राम आर्य एवं हमराही का0 देवेन्द्र सिंह व का0 गौरव सिंह द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ हेतु छापेमारी के दौरान टनकपुर तिराहे से आगे टनकपुर रोड में स्थित एक दुकान से अभियुक्त कृष्णानन्द पुत्र स्व0 महेश चन्द्र, निवासी- खनफर थाना थल जिला पिथौरागढ़ को दुकान में अवैध रूप से लोगों को शराब बेचने व पिलाने पर गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 21/60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।